प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग — देहरादूनः दिनांक: 14 जनवरी 2005

विषय — जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी की छुटऊ तोक समूह पेयजल योजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 627/अप्रेजल देहरादून/दिनांक–06.12.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी की छुटऊ तोक समूह पेयजल योजना अनु0लागत रू0 340.52 लाख के प्राक्कलन का परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 284.78 लाख (रू0 दो करोड़ चौरासी लाख अठत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों

क्रमशः2

के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(9) योजना पर धनराशि का व्यय त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(10) योजना के कार्य स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायें तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित लागत मान्य नहीं होंगी। कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11) उक्त योजना के विपरित व्यय की स्वीकृति योजना के भारत सरकार से अनुमोदित होने एवं धनराशि अवमुक्त करने के उपरान्त ही दी जायेगी।

(12) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2237/वित्त अनु0-3/2004 दिनांक 10 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या- 3042(1)/उत्तीस/04-2(58पे0) 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2 अधिशासी अभियन्ता ,द्वितीय निर्माण शाखा उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून को
3 इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटौतियों को नोट कराने हेतु निर्देशित करें
4 मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल ।
5 जिलाधिकारी, देहरादून ।
6 मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून ।
7 निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री ।
8 वित्त अनुभाग-3/ नियोजन प्रकोष्ट ।
9 निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव